

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)
समस्तीपुर

कार्यालय आदेश संख्या - 110 / NH / 2019 / 0074 / SPJ

श्री रीतेश कुमार, पिता श्री बीरेन्द्र किशोर प्रसाद, स्टेमा/सोनपुर मंडल पूर्व मध्य रेलवे वेतन बैंड 9300-34800+4200, (लेवल-6) जिनका श्री रणधीर कुमार, पिता श्री बासुदेव राम, स्टेमा/दरभंगा, समस्तीपुर मंडल, पूर्व मध्य रेल वेतन बैंड 9300-34800+4200, (लेवल-6) के साथ अन्तर मंडलीय पारस्परिक स्थानान्तरण मरेप्र(कार्मिक)/पूर्व मध्य रेल, समस्तीपुर के पत्र संख्या:-का/1/283/अरे.अ.म./पार0/परि0/सम0/भाग-111 दिनांक 09.01.2019 एवं मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)/पूर्व मध्य रेलवे, सोनपुर के पत्र सं0-का/283/111/स्टेमा/परि0/अं0म0/अ0म0रे0/स्था0/सोन दिनांक 12.11.2018 द्वारा स्वीकृत है, एवं सोनपुर मंडल के का0 आ0 सं0-599/2019 पत्रांक-का/283/IV/स्टेमा/परि0/अ0म0-अ0रे0 स्था0/सोन दिनांक 25.07.2019 द्वारा विरमित होकर इस मंडल में पदस्थापना हेतु दिनांक 26.07.2019 को रिपोर्ट किये हैं, को स्टेशन अधीक्षक/दरभंगा के अधीन पदस्थापित किया जाता है

इनके इस मंडल में रिपोर्ट करने की तिथि 26.07.2019 से कार्यालय आदेश जारी होने तक की अवधि को पदस्थापना हेतु प्रतिक्षारत अवधि मानी जाएगी।


उक्त स्थानान्तरण, कर्मचारी के अन्तर मंडलीय पारस्परिक स्थानान्तरण पर है अतः इन्हें स्थानान्तरण पर मिलने वाली कोई भी सुविधा देय नहीं है।

उपरोक्त सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित है।

श्री रीतेश कुमार का फोटो, हस्ताक्षर एवं बांये अंगूठे का निशान अधोहस्ताक्षरी द्वारा अभिप्रमाणित है।



रीतेश कुमार



(मनोज कुमार चौधरी)
सहायक कार्मिक अधिकारी-।
कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
समस्तीपुर

सहायक कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल / समस्तीपुर
सं0- का/पूर्व 283/अरे-अम/पार/सम0/भाग-111

दिनांक 26.07.2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)/सोनपुर, पूर्व मध्य रेल-कृपया उपरोक्त कर्मचारी का ए0पी0ए0आर0 एवं सेवा अभिलेख विधिकरणोपरान्त इस मंडल को अविलम्ब भेजने की व्यवस्था करें।
2. वमपचाप्र/समस्तीपुर एवं सोनपुर मंडल, पूर्व मध्य रेल।
3. वमविप्र./समस्तीपुर एवं सोनपुर मंडल, पूर्व मध्य रेल।
4. स्टेशन अधीक्षक/दरभंगा-कृपया कर्मचारी का योगदान देने संबंधी सूचना इस कार्यालय को दें।
5. मुकार्याधी/परि0 संवर्ग- कृपया उक्त कर्मचारी का अन्य आवश्यक कारवाई सुनिश्चित करें।
6. मुकार्याधी/यातायात बिल, कार्यालय में।
7. मुकार्याधी/अनुश्रवण प्रक्रेष्ठ।
8. मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू, ओबीसी एवं अजा-अजजा एशो0/सम0 मंडल।
9. संबंधित कर्मचारी। 10. अभिलेख हेतु।

कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
समस्तीपुर